



पत्रांक: 918/सां.प. - 05/25

दिनांक: - 14-11-2025

M/s Hira Sweets & Confectionary Pvt Ltd,
Shop No. 01, Sector-137,
Noida, Gautam Buddha Nagar

विषय:—जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 (यथा संशोधित) तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1981 (यथा संशोधित) के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करें। कार्यालय में ईमेल के माध्यम से श्री अभीष्ट कुसुम गुप्ता द्वारा एस0के0एस0 पब्लिक स्कूल, सेक्टर-137, नोएडा के सामने नाले से आ रही दुर्गंध के सम्बन्ध में शिकायत की गयी है। प्राप्त शिकायत के परिपेक्ष्य में कार्यालय के पदाधिकारियों द्वारा दिनांक 10.11.2025 को शिकायती स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया निरीक्षण के समय आपके प्रतिष्ठान में स्थापित ई0टी0पी0 बन्द अवस्था में पाया गया तथा प्रतिष्ठान से जनित अशुद्धिकृत उत्प्रवाह सीधे नाले में निस्तारित होता हुआ पाया गया, जो कि बोर्ड द्वारा निर्गत सशर्त सहमति (जल) में अधिरोपित शर्तों एवं जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के प्रख्यापित प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

उपरोक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके प्रतिष्ठान में उत्प्रवाह शुद्धिकरण हेतु स्थापित ई0टी0पी0 का संचालन तत्काल किया जाना सुनिश्चित करें, व अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के 03 दिन में कार्यालय को प्रेषित करें तथा किसी भी दशा में अशुद्धिकृत उत्प्रवाह निस्तारित न किया जाए, अन्यथा भविष्य में उक्त की पुर्नवृत्ति पाये जाने पर प्रतिष्ठान के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की जाएगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रतिष्ठान एवं प्रतिष्ठान के उत्तरदायी पदाधिकारियों का होगा।

(ऋतेश कुमार तिवारी)
क्षेत्रीय अधिकारी ०/८

प्रतिलिपि:—मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी ०/८